गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय)

प्रबन्ध मण्डल की ग्यारवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 13.03.2019
समय : प्रातः 09:30 बजे
स्थान : ए आई यू हाउस, 16 कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 विनोद कुमार, कुलपति-अध्यक्ष
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार, भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
4. प्रो0 एम0आर0 वर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
5. प्रो0 ईश्वर भारद्वाज, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
6. प्रो0 आर0सी0 दूबे, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7. डॉ0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
8. डॉ0 हेमन पाठक, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्या
9. प्रो0 दिनेश चन्द्र भटट्, कुलसचिव/संयोजक

प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक डॉ0 चन्द्र शेखर त्रिवेदी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी श्री सत्यसिंह तथा सेवारत शिक्षकेत्तर कर्मचारी श्री बालीराम (एम0टी0एस0) के आकस्मिक निधन पर श्रद्वांजलि ।

बैठक में शोक व्यक्त किया गया तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वाजंली दी गयी ।

प्रस्ताव संख्या 02 डॉ0 सत्यपाल सिंह, पूर्व कमीश्नर, मुम्बई पुलिस (वर्तमान में केन्द्रीय राज्यमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार) के द्वारा विश्वविद्यालय में कुलाधिपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के चयन हेतु चयन समिति की दिनांक 30.05.2018 को आयोजित बैठक में प्रायोजक संस्था, आर्य प्रतिनिधि सभा (दिल्ली, हरियाण एवं पंजाब) के प्रधानों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर डॉ0 सत्यपाल सिंह, पूर्व कमीश्नर, मुम्बई पुलिस (वर्तमान में केन्द्रीय राज्यमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार) को कुलाधिपति पद पर आगामी 05 वर्ष हेतु चयन किया गया था । उक्त के आलोक में डॉ0 सत्यपाल सिंह जी को पत्र (पत्रांक संख्या GKV/Estt/398 दिनांकित 30.05.2018) प्रेषित किया गया था । प्रेषित पत्र के आलोक में डॉ0 सत्यपाल सिंह, पूर्व कमीश्नर, मुम्बई पुलिस (वर्तमान में केन्द्रीय राज्यमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारत सरकार) ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर दिनांक 12.02.2019 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है । कुलाधिपति पद पर इनका 05 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 12.02.2019 से 11.02.2024 तक होगा । **उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि डॉ0 सत्यपाल सिंह को कई वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है, जिसका लाभ इनके कुलाधिपति होने से विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा । डॉ0 सत्यपाल सिंह के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर बैठक में उपस्थित प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया ।**

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का अंकन किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 03 विश्वविद्यालय में दिनांक 27.10.2018 को हुई शिक्षा पट्ल की बैठक की कार्यवाही के स्वीकृति/अंकन हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 27.10.2018 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पट्ल की बैठक आहूत की गयी । **शिक्षा पट्ल की उक्त बैठक के कुछ बिन्दुओं पर प्रबन्ध-मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं :-**

1. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 05 के बिन्दु 05 यह निर्णय लिया गया कि उपाधियों पर मान्य कुलाधिपति जी के हस्ताक्षर हेतु पूर्व की स्थिति को ही बनाये रखा जाये । इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह किन्हीं कारणों-वश समय पर नही होता है तो सम्बन्धित छात्रों/छात्राओं की उपाधियों को डाक द्वारा प्रेषित कर दिया जाये । विद्यार्थीयों के हित में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थीयों को उपाधि की शीघ्र आवश्यकता है उनकी उपाधियों शीघ्र तैयार कर हस्ताक्षर हेतु मान्य कुलाधिपति जी को तुरन्त भेज दी जाये । छात्र/छात्रायें आवश्कतानुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग से भी उपाधि प्राप्त कर सकते है ।**
2. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 10 के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के सभी शिक्षा बोर्डों को पत्र प्रेषित किया जाये कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्याधिकारी एवं विद्याविनोद (कक्षा 10 एवं 12) की परीक्षा भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल (Counil of Boards of School Education in India-COBSE) की मान्यता प्राप्त परीक्षओं की सूची में सम्मिलित कर ली गयी है ।**
3. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 13 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सभी शोध पत्रिकाओं को प्रकाशित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जो सभी शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी । इसी प्रस्ताव में प्रो0 आर0सी0 दूबे ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध छात्रों/छात्राओं द्वारा जमा कराये गये शोध ग्रंथ (थीसीस) का कॉपी-राईट (Copy Right) विश्वविद्यालय का होना चाहिए तथा इस सम्बन्ध का एक प्रमाण-पत्र सम्बन्धित शोध ग्रंथ (थीसीस) में आवश्यक रुप से लगाया जाये । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।**
4. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 15 में निर्णय लिया गया कि डी0फार्म0 कोर्स का संचालन बी0फार्म0 विभाग के अन्तर्गत ही होना चाहिए ।**
5. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 16 में प्रबन्ध अध्ययन संकाय के अन्तर्गत एम0बी0ए0 (पर्यटन) प्रारम्भ करने की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सैधांतिक स्वीकृति दी गयी तथा यू0जी0सी0 की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त् ही पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना स्वीकार किया गया ।**
6. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 17 में निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर पर इतिहास विषय में ऑनर्स कोर्स तभी आरम्भ किया जा सकता है यदि वर्तमान में इसके लिये समुचित संसाधन (शिक्षक, भवन, पुस्तकें आदि) उपलब्ध हो । इसके लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाना संभव नही होगा ।**

7. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 18 में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से पद व अन्य संसाधनों हेतु धन प्राप्त होने के उपरान्त् ही एम0ए0 (अर्थशास्त्र) प्रारम्भ किया जाये ।**

8. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 19 में निर्णय लिया गया कि बी0एस0सी0 (बायो मेडिकल सांइस) का अलग विभाग न बनाकर बी0फार्म0 विभाग के अन्तर्गत ही संचालित किया जाये ।**

9. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 20 में श्री विनय आर्य द्वारा कहा गया कि आरम्भ किये जा रहे डिप्लोमा कोर्स "योग एवं गीता" पर सम्बन्धित विभाग द्वारा पहले Basic Note/Syllabus भेजना चाहिए । तत्पश्चात् ही डिप्लोमा कोर्स को आरम्भ करने पर गठित समिति विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।**

10. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 21 के बिन्दु 01 में बी0पी0ई0एस0 पाठ्यक्रम में 20 सीटे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया गया । प्रस्ताव संख्या 21 के बिन्दु 02 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव पहले विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति में प्रस्तुत किया जाये ।**

11. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 22 को प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्ण रुप से स्वीकृत किया गया ।**

12. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 23 में निर्णय लिया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में पी0जी0 कक्षाएं नही हैं, उनमें शोध कार्य आरम्भ करने हेतु प्रस्तावों पर विस्तृत विचार करने के लिये एक समिति बनाई जाये जो शोध की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उपाय सुझाये तथा प्रस्ताव पुनः प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।**

13. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 24 को सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया ।**

14. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 28 में निर्णय लिया गया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से स्टाफ वार्ड के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत स्टाफ वार्ड के 50 प्रतिशत शुल्क का कोई भी प्रावधान नही है । प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान न होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नही किया जा सकता है तथा यह भी कहा कि वित्त सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव वित्त समिति के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।**

15. **शिक्षा पट्ल के दिनांक 27.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 29 को सदन द्वारा पूर्ण रुप से स्वीकार किया गया ।**

प्रस्ताव संख्या 04 डॉ0 विपिन कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर, स्ववित्त पोषित बी0फार्म के कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज-2 में देय प्रोन्नति तिथि संशोधित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के प्रस्ताव संख्या-08 के अन्तर्गत रखे गये प्रस्ताव में डॉ0 विपिन कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, स्ववित्त पोषित बी0फार्म विभाग की स्क्रीनिंग- कम- मूल्यांकन समिति द्वारा कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज-2 में देय प्रोन्नति तिथि 20.10.2015 की संस्तुति की गयी थी । उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि डॉ0 विपिन कुमार द्वारा पी0एच-डी0 की

उपाधि दिनांक 10.06.2015 को प्राप्त करने के आलाके में यू0जी0सी0 के नियमानुसार इनकी असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज-2 में प्रोन्नति तिथि 11.06.2015 होती है । उक्त के आलोक में मान्य कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 विपिन कुमार को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्टेज-2 में प्रोन्नति तिथि 20.10.2015 के स्थान पर 11.06.2015 स्वीकार की गयी है ।

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव उपरोक्तानुसार स्वीकृति किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 05 विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

<u>अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत</u>

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के प्रस्ताव संख्या-08 के अनुसार विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसरों के पदों हेतु दिनांक 15.10.2017 से 17.10.2017 तक तथा 02.11.2017 से 07.11.2017 तक संपन्न हुए साक्षात्कारों के सीलबन्द लिफाफे प्रबन्ध-मण्डल की बैठक में खोले गये थे । बैठक में खोले गये लिफाफों के आधार पर 19 अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति नियामानुसार 01 वर्ष के परीक्षण काल पर की गयी है । उक्त के आलोक में 18 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तथा 01 अभ्यर्थिनी डॉ0 अमृता के अनुरोध पर मान्य कुलपति जी द्वारा नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30.04.2019 तक का समय दिया गया है । कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की सूची निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण तिथि
1.	डॉ0 भगवान दास जोशी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (पूर्वाह्न)
2.	डॉ0 बबलू	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01.11.2018, (अपराह्न)
3.	डॉ0 अजित सिंह तोमर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01.11.2018, (अपराह्न)
4.	डॉ0 रविन्द्र कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01.11.2018, (अपराह्न)
5.	डॉ0 जगराम मीणा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01.11.2018, (अपराह्न)
6.	डॉ0 दीनदयाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (पूर्वाह्न)
7.	डॉ0 भारत आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (पूर्वाह्न)
8.	डॉ0 दीपक सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (अपराह्न)
9.	डॉ0 सविता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (पूर्वाह्न)
10	डॉ0 वेदव्रत	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02.11.2018, (पूर्वाह्न)
11	डॉ0 निशा शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	03.11.2018, (पूर्वाह्न)
12	डॉ0 निशा यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	03.11.2018, (पूर्वाह्न)
13	डॉ0 ममता यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	05.11.2018, (अपराह्न)
14	डॉ0 सरिता नेगी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	10.11.2018, (पूर्वाह्न)
15	डॉ0 संदीप कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	10.11.2018, (अपराह्न)
16	डॉ0 हरीश चन्द्र	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	13.11.2018, (पूर्वाह्न)
17	डॉ0 पियुष कुमार पटेल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	16.11.2018, (पूर्वाह्न)
18	डॉ0 नितिन भारद्वाज	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	01.12.2018, (पूर्वाह्न)

बैठक में उपरोक्त नियुक्तियों को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 06 विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र देने वाले शिक्षकों के त्यागपत्र स्वीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेवा से त्यागपत्र देने वाले निम्न शिक्षकों का त्यागपत्र मान्य कुलपति जी द्वारा प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकार किया गया है ।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :-

क.सं.	नाम शिक्षक	विभाग	त्याग पत्र स्वीकार करने की तिथि
1.	डॉ0 पीयुष कुमार पटेल	भौतिकी विज्ञान विभाग	05.01.2019 की अपराह्न से

डॉ0 पियुष कुमार पटेल द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने हेतु नियमानुसार 01 माह का अग्रिम नोटिस नहीं दिये जाने के कारण इनसे 01 माह का वेतन जमा कराया गया है ।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत :-

क्र.सं.	नाम शिक्षक	विभाग	त्याग पत्र स्वीकार करने की तिथि
1.	श्री कपिल मित्तल	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (अनुबन्ध)	08.12.2018 की अपराह्न से

श्री कपिल मित्तल द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार स्वीकार किये जाने हेतु नियमानुसार 01 माह का अग्रिम नोटिस दिया गया था ।

सदन में उपरोक्त शिक्षकों का त्याग-पत्र स्वीकृति किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 07

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु ।

अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत निम्न शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F-4-5/2009 (JCRC) दिनांकित 09 जुलाई 2010 एवं पत्र संख्या F-35034/3/2015-Estt. (D) दिनांकित 27 सितम्बर 2016 के अनुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकार किया गया है ।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गतः-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय लेवल/वेतनमान
1.	श्री द्विजेन्द्र पन्त	तकनीकी सहायक	II MACP	04.02.2017	वेतन लेवल-7 रु.44900-142400
2.	श्री गुरुप्रसाद	एम0टी0एस0	III MACP	01.08.2016	वेतन लेवल-4 रु.25500-81100

स्ववित्त पोषित के अन्तर्गतः-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
2.	श्री सुनील कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	02.07.2015	PB-I 5200-20200+1900 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेवल-2, रु.19900-63200)

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 08

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत पदोन्नति के 03 रिक्त लैब टैक्नीशियन, उच्च श्रेणी लिपिक एवं लैब असिस्टेन्ट के पदों पर विभागीय पदोन्नति की बैठक दिनांक 22.12.2018 की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के पदोन्नति हेतु रिक्त लैब टैक्नीशियन, उच्च श्रेणी लिपिक एवं लैब असिस्टेन्ट के पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु दिनांक 22.12.2018 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विश्वविद्यालय रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2012 में दी गयी शर्तों के अनुसार वरिष्ठता कम उपयुक्तता एवं पांच वर्षों की ए0सी0आर0 का अवलोकन के उपरान्त् विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्न कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गयी है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पूर्व पदनाम	पदोन्नति के उपरान्त् पदनाम	देय वेतन लेवल
1.	श्री चन्दप्रकाश	लैब असिस्टेन्ट	लैब टैक्नीशियन	वेतन लेवल-04
2.	श्री रजत सिन्हा	अवर श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन लेवल-04
3.	श्री बाबादीन गुप्ता	लैब अटैन्डेन्ट	लैब असिस्टेन्ट	वेतन लेवल-04

उपरोक्तानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पदोन्नति को स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 09 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जारी पत्र संख्या 30022/01/2019-CDN के अनुसार निर्देशित किया गया है कि माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा इच्छा जाहिर की गयी है कि जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में पद रिक्त है तथा जिनका विज्ञापन जारी कर पदों को माह फरवरी 2019 के अन्त तक तुरन्त भरा जा सकता है, उनका विवरण उक्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाये ।
इस सन्दर्भ में सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पदों की विज्ञप्ति जारी कर प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और उसी विज्ञापन के आधार पर कुछ पदों पर वर्ष 2017 में चयन कर माह नवम्बर/दिसम्बर 2018 में नियुक्ति प्रदान कर दी गयी थी, शेष पदों पर अग्रेत्तर कार्यवाही (चयन समिति की बैठक) की जानी शेष है । प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 03 में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉ0 विनोद कुमार केवल शिक्षकों (असिस्टेन्ट प्रोफेसर तक) के प्रौन्नति एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं । सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार एवं शिक्षकों के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु साक्षात्कार स्थायी कुलपति द्वारा ही किया जाना उचित होगा । उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्थायी कुलपति के चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया में समय लगेगा । अतः भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जारी पत्र संख्या 30022/01/2019-CDN के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु वर्तमान मान्य कुलपति डॉ0 विनोद कुमार को विज्ञापित पदों में से शेष रह गये पदों को भरने एवं दीर्घकाल से लम्बित एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हेतु साक्षात्कार का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये **प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि पूर्व विज्ञापन को 06 माह से अधिक का समय हो गया है तथा साक्षात्कार की प्रकिया पूर्ण नही की गयी है तो वर्तमान तक रिक्त सभी पदों का विज्ञापन पुनः जारी कर दिया जाये तथा विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह के अन्दर साक्षात्कार सहित समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली जाये । तद्नुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।**

प्रस्ताव संख्या 10 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध-मण्डल द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के MoA के अनुसार वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध-मण्डल द्वारा 02 सदस्य नामित किये जाते हैं । जिसमें से 01 प्रबन्ध-मण्डल का सदस्य होना आवश्यक है । पूर्व में नामित सदस्यों में से श्री रतन के. बजाज का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वित्त समिति की बैठकों में प्रबन्ध-मण्डल द्वारा 01 सदस्य को आगामी 03 वर्ष हेतु नामित किया किये जाने के **सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि इस विषय पर सम्यक विचार कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में नाम प्रस्तुत किया जायेगा । तद्नुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

प्रस्ताव संख्या 11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के संशोधित MoA/Rules एवं विश्वविद्यालय का नाम अंग्रेजी में Gurukula Kangri (Deemed to be University) के स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेगूलेशन 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा (दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब) द्वारा पारित MoA/Rules को स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 19.01.2019 को पत्र संख्या Estt./603 एवं प्रायोजक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय का नाम **गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय)** एवं अंग्रेजी में **Gurukula Kangri (Sam Vishwavidyalya)** किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23.11.2018 को पत्र (संख्या Estt./575-578) प्रेषित किया गया

था । उक्त प्रेषित पत्रों के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2019 को प्रेषित पत्र [संख्या F.43-1/2009 (CPP-I/DU)] विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित उक्त पत्र में यह अंकन किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित MoA/Rules को सोसाईटी के रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराकर पंजीकृत किये गये MoA/Rules की प्रति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाये । साथ ही यह भी अंकन किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में किसी भी पत्राचार हेतु अपने समस्त प्रपत्रों, बोर्ड एवं अपनी वैवसाईट में नये नाम अर्थात् **Gurukula Kangri (Deemed to be University)** को समाविष्ट कर लिया जाये ।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रायोजक संस्था ने विश्वविद्यालय का नया नाम हिन्दी में **गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय)** सुझाया था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2019 को प्रेषित पत्र संख्या F.43-1/2009 (CPP-I/DU) के अनुसार कार्यवाही किये जाने एवं हिन्दी में विश्वविद्यालय का नामकरण <u>गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय)</u> किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सदन के सभी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र [संख्या F.43-1/2009 (CPP-I/DU)] **के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम अंग्रेजी में Gurukula Kangri (Deemed to be University) तथा हिन्दी में विश्वविद्यालय का नामकरण <u>गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय)</u> किया जाना स्वीकार किया गया ।**

प्रस्ताव संख्या 12

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 के निर्णय अनुसार डॉ0 रामकुमार सिंह डागर के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से पत्राचार कर मान्य कुलपति जी उक्त प्रकरण में डॉ0 रामकुमार सिंह डागर को प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति एवं वेतनमान प्रदान कर सकते हैं । उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 31.10.2018 को पत्र संख्या Estt./537-539 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया था । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.11.2018 को जारी पत्र संख्या 1-1/2009 (PS) प्राप्त हुआ है । उक्त पत्रानुसार कार्यवाही करते हुए डॉ0 राम कुमार सिंह डागर को रीडर पद से प्रोफेसर पद पर दिनांक 22.10.2007 से प्रौन्नति एवं वेतनमान प्रदान **कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने मत व्यक्त किया कि डॉ0 राम कुमार सिंह डागर ने शारीरिक शिक्षा में पी0एच-डी0 की उपाधि वर्ष 2010 में प्राप्त की है, जबकि इनके द्वारा पूर्व में वर्ष 1995 में प्राप्त की गयी पी0एच-डी0 की उपाधि मनोविज्ञान विषय में है । चूंकि डॉ0 राम कुमार सिंह डागर शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग में नियुक्त है । अतः इनके द्वारा शारीरिक शिक्षा में प्राप्त की गयी पी0एच-डी0 उपाधि मान्य होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने सदन को अवगत कराया कि शारीरिक शिक्षा में प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पूर्ण रुप से पहले ही नियम बने हुए है । अतः डॉ0 राम कुमार सिंह डागर के प्रोन्नति सम्बन्धी पूरे केस का अध्ययन कर एवं शारीरिक शिक्षा में यू0जी0सी0 के नियमों के अन्तर्गत पूर्ण विवरण बनाये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाये । कुलपति प्रो0 विनोद कुमार ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में इस सम्बन्ध में प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है । अतः प्रकरण उस समिति को सौंप दिया जायेगा ।श्री विनय आर्य ने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुति को आगामी प्रबन्ध-मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।**

प्रस्ताव संख्या 13 भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में दिनांक 27.09.2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या F-35034/3/2015-Estt. (D) दिनांक 27 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार एम0ए0सी0पी0 हेतु ए0पी0आर0/ए0सी0आर0 में बैंचमार्क अच्छा से बहुत अच्छा किया गया है । उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 जौलाई 2016 से लागू है ।
उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि 25 जौलाई 2016 से पूर्व एवं बाद में भी विश्वविद्यालय के कई शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के ए0सी0आर0 में बैंचमार्क अच्छा अथवा संतोषजनक अंकित किया गया है, जिस कारण से सम्बन्धित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर **कुलपति एवं प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष प्रो0 विनोद कुमार ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वित्तीय उन्ययन हेतु बैंच मार्क बहुत अच्छा किया जाता है तो इससे कई कर्मचारी प्रभावित होगें । श्री विनय आर्य ने कहा कि सरकार के नियमों को तोड़ने का अधिकार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल को नही है । प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने श्री विनय आर्य का समर्थन करते हुए सदन को अवगत कराया कि यदि नियमों के विरुद्व कार्यवाही की जाती है तो इसमें ऑडिट आपत्ति भी आ सकती है । इस सम्बन्ध में प्रो0 एम0आर0 वर्मा एवं प्रो0 ईश्वर भारद्वाज ने कहा कि उपरोक्तानुसर बैंच मार्क बहुत अच्छा लागू करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थानों से पत्राचार कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाये । प्रो0 आर0सी0 दूबे ने कहा कि मान्य कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन कर उपरोक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं संस्तुति को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । अतः प्रस्ताव उपरोक्तानुसार एक समिति का गठन किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया ।**

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की अद्यतन वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निवारण के सन्दर्भ में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 01 में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की दिनांक 01.10.2018 के आधार पर अद्यतन की गयी वरिष्ठता सूची का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.10.2018 के आधार पर बनायी गयी वरिष्ठता सूची पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हेतु वरिष्ठता सूची को विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर अपलोड कर दिया जाये तथा प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अद्यतन की गयी वरिष्ठता सूची को आगामी प्रबन्ध-मण्डल की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये ।उक्त के आलोक में वरिष्ठता सूची में अपनी वरिष्ठता अथवा अपने सेवा विवरण के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 19.11.2018 को कार्यालय आदेश जारी किया गया था । उक्त कार्यालय आदेश जारी किये जाने के उपरान्त् शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा प्रेषित की गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दी गयी है । चूंकि समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुति के आधार पर दिनांक 01.10.2018 की वरिष्ठता सूची में कोई परिवर्तन नही है । अतः प्रबन्ध-मण्डल की बैठक दिनांक 30.10.2018 को

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की दिनांक 01.10.2018 के आधार पर पर प्रस्तुत की गयी पूर्व अद्यतन वरिष्ठता सूची **को स्वीकृत किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त अद्यतन वरिष्ठता सूची को विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर अपलोड कर दिया जाये ।**

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर 03 नामों के पैनल के लिये गठन किये जाने हेतु Search-cum-Selection Committee में प्रबन्ध मण्डल (BoM) द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के रिक्त कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 06.03.2019 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है तथा विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर भी उक्त विज्ञापन को अपलोड किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय MoA के नियमानुसार कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु मान्य कुलाधिपति को भेजे जाने वाले 03 नामों के पैनल की संस्तुति किये जाने हेतु Search-cum-Selection Committee में प्रबन्ध मण्डल (BoM) द्वारा एक सदस्य को नामित किया जाना है । Search-cum-Selection Committee के गठन **सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने प्रबन्ध मण्डल (BoM) द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्य के सम्बन्ध में प्रो0 रघुविन्दर तंवर, Directer, Hariyana Academy of History & Culture, Professor Emeritus, Kurukshetra University, Kurukshetra को नामित किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की गयी ।**

रिक्त पदों के विज्ञापन के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि भविष्य में पदों का विज्ञापन तीनों सभाओं (आर्य प्रतिनिधि सभा-पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली) की पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए । इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 प्रबन्ध मण्डल (BoM) की बैठक दिनांक 30.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार डॉ0 अनिल कुमार धीमान के वेतनमान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल (BoM) की बैठक दिनांक 30.10.2018 के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार डॉ0 अनिल कुमार धीमान के वेतनमान के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि डॉ0 अनिल कुमार धीमान को ग्रेड वेतन रु.6000/- की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया जाये तथा आयोग द्वारा जो भी उत्तर आये तद्नुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाये । इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा व्यक्तिगत रुप से डॉ0 अनिल कुमार धीमान के वेतनमान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त वेतनमान के सम्बन्ध में बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में ही पत्र संख्या 31-51/98 (IUC) दिनांक 11.12.2006 प्रेषित किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रो0 आर0डी0 कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी । समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति में उक्त पद के Bye Laws बनाये गये हैं तथा सूचना वैज्ञानिक के पद को पुस्तकालय के सहायक पुस्तकालयाध्क्ष की भांति नॉन वेकेशन की श्रेणी में रखते हुए उक्त पद हेतु एकेडमिक ग्रेड वेतन रु.6000/- दिये जाने की संस्तुति की है । डॉ0 आर0डी0 कौशिक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय में सूचना वैज्ञानिक के पद हेतु की गयी उपरोक्त संस्तुति को **स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संस्तुति के आधार पर डॉ0 अनिल कुमार धीमान को पुस्तकालय कैडर के अन्तर्गत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भाति वेतनमान एवं नियमानुसार प्रौन्नति एवं अन्य लाभ प्रदान कर दिये जायें । परन्तु इनकी प्रौन्नति सूचना वैज्ञानिक (उप पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान में) तक ही**

रहेगी । उक्त लाभ डॉ0 अनिल कुमार को इस आशय से प्रदान किया जाता है कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से कोई आपत्ति आती है तो इन्हें मान्य होगी । अतः प्रस्ताव उपरोक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

पूरक प्रस्ताव संख्या 04 विश्वविद्यालय में दिनांक 16.02.2019 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही की सूचना का प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 16.02.2019 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक आहूत की गयी । उक्त बैठक की कार्यवाही दिनांक 04.03.2019 को सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है तथा उक्त कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज करने हेतु दिनांक 19.03.2019 तक समय दिया गया है । **इस प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि चूंकि दिनांक 19.03.2019 तक वित्त समिति की कार्यवाही आपत्ति दर्ज करने हेतु वित्त समिति के सदस्यों का प्रेषित की गयी है अतः आपत्ति दर्ज होने के उपरान्त् ही वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । तद्नुसार प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया ।**

पूरक प्रस्ताव संख्या 05 विश्वविद्यालय में दिनांक 12.03.2019 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में कोर्डिनेटर, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अनुशासन समिति एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण की संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिनांक 09.03.2019 को विश्वविद्यालय के मान्य कुलपति जी का घेराव कर उनके साथ किये गये र्दुव्यवहार एवं उनके कार्यालय में किये गये तोड़फोड़ की अप्रिय घटना के संबन्ध में दिनांक 11.03.2019 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समस्त कोर्डिनेटर, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अनुशासन समिति एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण की हुई संयुक्त बैठक में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया की छात्र कल्याण की वर्तमान परिषद को भंग करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये और भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई छात्र संघ/कल्याण परिषद बनाने की आवश्यकता पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये । सभी शिक्षकों ने एक मत से दोषी छात्रों का निस्कासन एवं एफ.आई.आर. दर्ज की जानी की पुरजोर अपील की और कहा की विश्वविद्यालय की संपत्ति के नुकसान की भरपायी भी दोषी छात्रों से ही की जानी चाहिये । इन छात्रों द्वारा पहले भी बी.फार्मा और भौतिकी विभाग में तोड़फोड़ की गयी थी । उपरोक्त बैठक की **कार्यवाही को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय में तोड़-फोड़ करने वाले छात्रों एवं कुलपति जी के साथ अभद्रता एवं र्दुव्यवहार करने वाले छात्रों पर सर्वप्रथम एफ0आई0आर0 दर्ज कर विश्वविद्यालय से निष्कासन की प्रकिया प्रारम्भ की जाये । प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि वर्तमान छात्र कल्याण कार्यकारणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये तथा आगामी छात्र कल्याण परिषद के चुनाव तब तक न कराये जाये जब तक कि विश्वविद्यालय छात्र कल्याण परिषद के चुनाव के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम/उपनियम न बना लें ।**

अन्य पूरक प्र0 सं0 01 विश्वविद्यालय में दिनांक 09.07.2018 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 14 में रीडर पद पर दिये गये दो वेतन-वृद्वियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आलोक मे प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के दिनांक 09.07.2018 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 14 में निर्णय लिया गया था कि जिन शिक्षकों को रीडर पद पर दो वेतन वृद्वियों का लाभ दिया गया है तो उनका पूर्ण विवरण बनाकर अगली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये । उक्त के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि सूची को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । इस सम्बन्ध में

कुलपति जी ने कहा कि प्रत्येक कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का अवलोकन किया गया, इस कारण से कार्य पूर्ण होने के उपरान्त् ही सूची प्रस्तुत की गयी । प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से उक्त दो वेतन-वृद्वियों को वापस लिये जाने हेतु कोई पत्र आया है तो प्राप्त पत्र के आलोक में ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर नियमानुसार कटौती की प्रकिया को प्रारम्भ किया जाना स्वीकार किया गया ।

अन्य पूरक प्र0 सं0 02 विश्वविद्यालय के आगामी 10 एवं 20 वर्षो हेतु Vision Docoments तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 विनोद कुमार ने कहा कि मान्य कुलाधिपति जी की इच्छा है कि विश्वविद्यालय को भविष्य की परिस्थितियों हेतु तैयार करने एवं आगे ले जाने के लिये विश्वविद्यालय का आगामी 10 एवं 20 वर्षों का Vision Docoments तैयार किया जाये । इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि उक्त कार्य हेतु कुलपति की अध्यक्षता में पांच व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जाये जिसमें एक सदस्य प्रबन्ध मण्डल से, एक सदस्य स्पोंसरिंग सोसाईटी से तथा तीन अन्य विशेषज्ञ होंगे । उक्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रुप में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार द्वारा श्री विनय आर्य के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

शान्ति पाठ के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव